समाचार.प्रकाषनार्थरू.

षहर में विकसित हो रही अवैध कालोनियों पर कार्यवाही निरंतर जारी

जिलाए निगम व पुलिस विभाग की संयुक्त मुहिम के तहत

शहर सीमा के अषोक नगर ग्रीन सिटी के पीछे से नियम विपरित निर्माण हटाये

रतलाम 18 नवम्बर । कलेक्टर व नगर निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में विकसित हो रही अवैध कालोनियों पर लगाम लगाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के मार्गदर्शन में आज अषोक नगर ग्रीन सिटी के पीछे विकसित हो रही अवैध कालोनी से अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाये गये यह मुहिम आगे भी सतत जारी रहेगी।

आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि कालोनी विकास की अनुमति के बिना अवैध रूप से कालोनी निर्माण करने पर मध्यप्रदेष नगर पालिका ;कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरणए निर्बधन तथा षर्तेद्ध नियम 1998 के अन्तर्गत अवैध कालोनाईजेषन के तहत एफआईआर दर्ज कराई जायेगी तथा नगर निगम द्वारा अवैध निर्माण तोड़ने हेतु निगम द्वारा निर्धारित 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से राषि वसूली जायेगी जिसके तहत उक्त कालोनी निर्माण करने वालो को अवैध निर्माण तोड़ने की राषि वसूलने हेतु षीघ्र नोटिस जारी किया जा रहा है। श्री झारिया ने बताया कि अवैध कालोनियों और शासकीय जमीनों पर अवैध कब्जों को हटाने की मुहिम सतत जारी रखी जाएगी।

जिलाए निगम और पुलिस प्रशासन की इस संयुक्त टीम द्वारा गुरूवार को अषोक नगर ग्रीन सिटी के पीछे सर्वे क्रमांक 534द्2 रकबा 0ण्130 हैक्टर मुजीब.इनामुरेमानए 775ध्4ए 534ध्4द्2द्2 रकबा 0ण्229 हैक्टर अषरफ.अब्दुल कलाम बेलिम व 534ध्4द्1द्2 एव 934ध्4द्2द्1 रकबा 0ण्139 हैक्टर बालकिषन.रामनारायण पिलोदिया द्वारा अवैध कालोनी का निर्माण करते द्वारा सीमेन्ट कांक्रीट सड़क 550 बाय 4 मीटरए सीवर लाईन व चेम्बरए सीमेन्ट कांक्रीट पोलए मोहम्मद मुजीब रहमान द्वारा 15 बाय 40 फीट पर पिलीन्थ लेवल तक भवन निर्माण कार्यए मोहम्मद सिद्धीकी द्वारा 30 बाय 50 फीट में पाईप से टीन षेड की फ्रेमए बबलू.मेहमूद द्वारा 40 बाय 40 फीट में लकड़ीध्बल्ली हेतु षेड तथा 100 बाय 4 मीटर में डब्ल्यूबीएम सड़क निर्माण को निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषन में राजस्व निरीक्षकए पटवारी व नगर निगम के

कार्यपालन यंत्री श्री सुरेषचन्द्र व्यासए श्री मोहम्मद हनीफ षेखए सहायक यंत्री श्री ष्याम सोनीए उपयंत्री सर्वश्री राजेन्द्र मिश्राए राजेष पाटीदारए ब्रजेष कुषवाहए मनीश तिवारी आदि की उपस्थिति में 2 पोकलेनए 2 जेसीबीए डम्परए टेक्ट्रर व निगम की गैंग की सहायता से नियम विपरित निर्माण कार्यो को हटाया गया। इस पूरी कार्रवाई की वीडियों रिकार्डिग कराई जाकर पंचनामा भी बनाया गया है।
अवैध कालोनियों में हुए निर्माण को ध्वस्त करने के साथ ही इनके कालोनाईजरों के विरूद्ध नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 ;गद्ध में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार संज्ञेय अपराध होने से कारावास एवं अर्थदण्ड की कार्यवाही हेतु पुलिस प्राथमिकी दर्ज करवाई जावेगी।

सभी स्वच्छता के प्रति जागरुक रहे

स्वच्छ सर्वेक्षण.2022 के तहत डोर टू डोर कचरा निपटान के तरीके समझाए गएए शहर के अनेक स्थानों पर आकर्षक रांगोली के माध्यम से दिया स्वच्छता का संदेश

रतलाम 18 नवम्बर । सभी स्वच्छता के प्रति जागरुक रहे। गली. मोहल्लेएबाजारोंएपार्कोए खेल मैदानोंए मुख्य सडक़ों आदि को साफ सुथरा रखे। अगर हम स्वच्छता का महत्व अब भी नही समझेगे तो सभी के स्वास्थ्य पर विपरित असर पड़ेगा और विभिन्न हजारों जीवाणु बीमारियां बढ़ाने में सहायक होगे।
उक्त विचार नगर निगम आयुक्त ने गुरुवार को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत चल रहे स्वच्छता जागरुकता कार्यक्रमों के तहत शहर में आयोजित विभिन्न गतिविधियों के दौरान व्यक्त किए। इस दौरान सफाई मित्र समूह ने शहर के कचरा मुक्त व प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर रांगोलियों के माध्यम से स्वच्छता बनाए रखने संदेश आमजन को दिया अ डोर टू डोर इसके लिए प्रेरित भी किया है।
इस मौके पर श्री झारिया ने कहां कि स्वच्छता यह केवल एक शब्द नहीं है वर्तमान में यह हमारे जीवन में बहुत अहम भूमिका रखता है। इसलिए हमें स्वच्छता की आदत जरूर होनी चाहिए।
जिस मनुष्य के अंदर स्वच्छता की एक अच्छी आदत होती है। वह अपने घरए अपने आसपासए तलाबए नदीए स्कूलोंए आदि को गंदा करने की सोचता भी नहीं है।

जो मनुष्य अपने समाज को साफ सुथरा रखता है। वह एक प्रभावशाली और अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति माना जाता है। तथा हमारी इस धरती पर हमेशा जीवन को संभव बनाने के लिए मनुष्य के शरीर की साफ सफाई के साथ.साथ प्राकृतिक साफ. सफाई भी बहुत आवश्यक है।

श्री झारिया ने नागरिकों से आव्हान किया है कि घर और दुकानों से निकले कचरे का निपटान कचरा संग्रहण वाहन के अलग.अलग हिस्सों में ही करे। स्वच्छता के प्रति नागरिकों की जागरुकता जरुरी है तभी हम अपने शहर को देश में स्वच्छता के मामले में नम्बर.1 बना पाएगेए इसी के साथ वैक्सीनेशन के मामले में भी शत प्रतिशत टीके लगवा कर रतलाम का गौरव बढ़ाए।

इस अवसर पर उपायुक्त विकास सोलकीए स्वास्थ्य अधिकारी जी॰के॰ जायसवालए झोन अधिकारी ए॰पी॰सिंहए किरण चौहानए पर्वत हाड़ेए विनय चौहान सहित सफाई मित्र समूह के सदस्य आदि उपस्थित रहे।

खुले में गंदगी करने पर 9 व्यक्तियों पर जुर्माना

गंदगी करने वालो की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 18 नवम्बर । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देषानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर षहर को गंदा करते हैंए मलबा डालकर अतिक्रमण करते है उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 18 नवम्बर को 9 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार खुले में गंदगी करने पर छाबड़ा ऑटो सेंटर मित्र निवास रोड पर 1000ए अनवर हुसैन फुलमण्डी पर 200ए मोहन टेलर न्यू रोडए षर्माजी स्टेषन रोड पर 100ए ओमप्रकाषए संजय स्टेषन रोडए प्रहलाद दो बत्तीए कपील महू रोडए सचिन कुमार न्यू रोड पर 50.50 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविश्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि षहर को गंदा करने वाले नागरिकोंए दुकानदारों आदि की जानकारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए॰पी॰ सिंह मो॰ नं॰ 7471144930ए झोन प्रभारी श्री पर्वत हाड़े मो॰ नं॰ 7471144931ए श्री किरण चौहान मो॰नं॰ 7471144932ए श्री विनय चौहान मो॰नं॰ 8770535145ए श्री विराट मेहरा 9770326691ए स्पॉट फाईन दल के पवन झांझोट मो॰नं॰ 7000128812ए आकाष षिन्दे

मो0नं0 9424075393ए 7724981736 मनोज झांझोट मो0नं0 6268449110ए राकेष ललावत मो0नं0 7000128812 को देकर नगर को साफ.स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

18 नवम्बर को 78 टन से ज्यादा कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 18 नवम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर.घर से पृथक.पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले.सूखे कचरे व सड़को व नाले.नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टेªचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 18 नवम्बर गुरूवार को 78 टन से अधिक कचरा जुलवानिया टेªचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

18 नवम्बर गुरूवार को डम्पर से 25065ए टेªक्टर से 13990ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 21275 व काम्पेक्टर गीला कचरा 18235 किलो इस तरह कुल 78565 किलो कचरा जुलवानिया टेªचिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

4326 पेंषन हितग्राहियों का हुआ भौतिक सत्यापन

पेंषन पाने वाले हितग्राही अपना भौतिक सत्यापन करवायें

वार्डवार केन्द्रों व घर.घर जाकर किया जा रहा है सत्यापन

रतलाम 18 नवम्बर । रतलाम षहर के सामाजिक सुरक्षाए इंदिरा गांधी राश्ट्रीय वृद्धा पेंषनए राश्ट्रीय विधवा पेंषनए राश्ट्रीय निःषक्त पेंषनए सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंषनए विधवा पेंषनए निःषक्त पेंषनए मानसिक बहुविकलांग पेंषन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों का षासन निर्देषानुसार भौतिक सत्यापन वार्ड दरोगा व नियुक्त कर्मचारियों द्वारा घर.घर जाकर व वार्डवार बनाये गये केन्द्रों पर किया जा रहा है जिसके तहत 18 नवम्बर गुरूवार तक 4326 पंेषन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कर 43 प्रतिषत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

नगर निगम द्वारा पेंषन पाने वाले हितग्राहियों से अपील की जाती है कि वे वार्ड दरोगा व नियुक्त कर्मचारियों को आवष्यक दस्तावेज बीपीएल राषन कार्डए समग्र आईडीए बैंक खाते की पास बुकए निवासीए जन्मए आयुए चिकित्सकए निःषक्तताए आयकर दाता ना होए पति की मृत्यु का प्रमाण.पत्रए अंक सूचीए मतदाता सूचीए मतदाता परिचय.पत्रए महात्मा गांधी राश्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना के तहत

जारी जाब कार्डए उपलब्ध कराकर या वार्डवार बनाये केन्द्र वार्ड 1 अम्बेडकर मांगलिक भवन गांधी नगरए वार्ड 2 रामकला सभागृह लक्ष्मणपुराए वार्ड 3 राठौड़ समाज धर्मषालाए वार्ड 4 महर्शी दयानन्द वैदिक विद्यालयए वार्ड 5 गुरू रामदास स्कूल विनोबा नगरए वार्ड 6 मार्निंग स्टार स्कूल इंदिरा नगरए वार्ड 7 अलकापुरी कम्युनिटी हॉलए वार्ड 8 संतनामदेव पब्लिक स्कूल विनोबा नगरए वार्ड 9 सांई ऐकेडमी स्कूल 80 फीट रोडए वार्ड 10 सिंधी गुरूद्वारा मोहन नगरए वार्ड 11 बोधी स्कूल डोंगरे नगरए वार्ड 12 सुमंगल गार्डन कस्तुरबा नगरए वार्ड 13 अम्बेडकर कम्युनिटी हॉल जवाहर नगरए वार्ड 14 सरस्वती स्कूल काटजू नगरए वार्ड 15 मांगलिक भवन सुभाश नगरए वार्ड 16 काष्यप सभागृह सागोद रोडए वार्ड 17 उत्कृश्ट स्कूल सागोद रोडए वार्ड 18 षांति निकेतन टाटा नगरए वार्ड 19 राधाकृश्ण प्राथमिक विद्यालय दीनदयाल नगरए वार्ड 20 सरस्वती स्कूल अमृत सागरए वार्ड 21 नरसिंह वाटिका सिलावटो का वासए वार्ड 22 मानस भवन मोती नगरए वार्ड 23 ज्योति कान्वेंट स्कूल बाजाली नगरए वार्ड 24 सब्जी फिरोस जमातखाना सायर चबुतराए वार्ड 25 सगरवंषी माली समाज धर्मषालाए वार्ड 26 संतमीरा स्कूल थावरिया बाजारए वार्ड 27 जमातखाना षैरानीपुराए वार्ड 28 मांगलिक भवन दिलीप नगरए वार्ड 29 डीआरपी लाईन आनन्द कालोनीए वार्ड 30 काजीखान की मस्जिद जावरा रोडए वार्ड 31 षासकीय प्राथमिक स्कूल डोसीगांवए वार्ड 32 उजाला पैलेस स्टेषन रोडए वार्ड 33 लायंस हॉल पावर हाउस रोडए वार्ड 34 रोटरी हॉल अजंता टॉकिज रोडए वार्ड 35 मेंहदीकुई बालाजी नगर निगमए वार्ड 36 कान्वेंट स्कूल मित्र निवास रोडए वार्ड 37 लॉ कॉलेज आनन्द कालोनीए वार्ड 38 जमातखाना षैरानीपुराए वार्ड 39 षासकीय प्राथमिक स्कूल षैरानीपुराए वार्ड 40 श्रीमाली धर्मषालाए वार्ड 41 मोहन टॉकिजए वार्ड 42 माहेष्वरी धर्मषाला कसारा बाजारए वार्ड 43 गणेष मांगलिक भवन रामबागए वार्ड 44 बोहरा कम्युनिटी हॉल बोहरा बाखलए वार्ड 45 षासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल माणक चौकए वार्ड 46 आईएमए हॉल राजेन्द्र नगरए वार्ड 47 मदरसा तालीमुल कुरआन नयापुरा हाट रोडए वार्ड 48 सूरजहॉल वेदव्यास कालोनीए वार्ड 49 सिखवाल धर्मषाला ब्राम्हणों का वास तथा नगर निगम के आईटी सेल में आवष्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अपना भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से करवायें।

नगर निगम द्वारा अब तक 7564 आयुश्मान कार्ड बनाये गये

निगम के आईटी सेल में हितग्राही बनवायें आयुश्मान कार्ड

रतलाम 18 नवम्बर । आयुश्मान भारत श्शनिरामयम’ ’ योजना अन्तर्गत रतलाम नगर के पात्र हितग्राहियों के निःषुल्क बनाने का कार्य नगर निगम के आईटी सेल कार्यालय में कार्यालयीन समय में बनाये जा रहे है जिसके तहत 1 अक्टूबर से 18 नवम्बर तक 192 हितग्राहियों के कार्य बनाये जा चुके है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि गरीब एवं असहाय परिवारें पर बीमारियों पर खर्च होने वाले आर्थिक बोझ एवं गुणवत्तापूर्वक इलाज समय पर उपलब्ध कराये जाने हेतु आयुश्मान भारत श्शनिरामयम’ ’ योजना के तहत नगर के षेश रहे पात्र हितग्राहियों के आयुश्मान कार्ड नगर निगम के विकास षाखा स्थित आईटी सेल में बनाये जा रहे है। नगर निगम विकास षाखा स्थित आईटी सेल में नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा 41 दिनों में 192 हितग्राहियों के कार्य बनाये जा चुके है। इससे पूर्व वार्डवार गठित दलों व उचित मूल्य की दुकानों पर 7316 कार्ड बनाये गये थे इस तरह अब तक 7564 आयुश्मान कार्ड बनाये जा चुके हैं।
आयुश्मान कार्ड बनाने हेतु नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया है कि रतलाम नगर के षेश रहे हितग्राहियों के आयुश्मान कार्ड निःषुल्क बनाये जाना है। पात्र हितग्राहियों और उनके परिवार सदस्यों का पंजीयन किये जाने हेतु आधार कार्ड व समग्र आईडी दस्तावेज के रूप में लिये जावें।

2223 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए
स्वरोजगार ऋण से 68 हितग्राही हुए लाभान्वित
पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 18 नवम्बर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यषील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विषेश अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु 2136 हितग्राहियों को राषि रूपये 10ए000ध् तथा द्वितीय कार्यषील पूंजी हेतु 87 हितग्राहियों को राषि रूपये 20ए000ध् ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 68 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 3 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।
पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवष्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही
15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राषि होगी वसूल

रतलाम 18 नवम्बर । षहर की मुख्य सड़के सैलाना रोडए सागोद रोडए महू रोडए स्टेषन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जायेगी।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देषित किया है षहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जाये।
नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

डेंगू से बचाव हेतु प्रत्येक झोन में एक.एक डबल बैरल फॉगिंग मषीन से कीटनाषक दवा का छिड़काव निरंतर जारी
रतलाम 18 नवम्बर। कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार नागरिकों को मच्छर जनित डेंगू व मलेरिया जैसी बीमारी से बचाव हेतु

नगर प्रत्येक झोन में एक.एक डबल बैरल फॉगिंग मषीन से कीटनाषक दवा का छिड़काव का कार्य निरंतर जारी है।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने इस अवसर पर बताया कि शहर में बढ़ रहे डेंगू व मलेरिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों पर नियंत्रण हेतु कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार प्रत्येक झोन में एक.एक डबल बैरल फॉगिंग मषीन से नगरनिगम व मलेरिया विभाग द्वारा रूट चार्ट अनुसार सुबह 05ः30 से 08ः00 बजे तक व शाम को 06ः00 से रात 10ः00 बजे तक किया जा रहा है साथ ही प्रत्येक वार्ड में एक.एक हैण्ड स्प्रे मशीन से भी कीटनाषक दवा का छिड़काव किया जा रहा है।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 18 नवम्बर । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकोंए दुकानदारोए व्यावसायिक प्रतिश्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 18 नवम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देषित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिष्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की

जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देषित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया कि दोनो पालियों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कषॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देषित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 18 नवम्बर । स्वच्छ सर्वेक्षण.2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर.1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले.नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले. नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।
वार्डो की समुचित साफ.सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ.सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचारध्जण्संण्विण्ध्हेमन्तध18ण11ण2021ध्नण्पाण्निगमए रतलामण